न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 41/2021 अपील (GCMS/2021/48)
पंजीयन दिनांक - 30.03.2021
निर्णय दिनांक - 06.12.2021

1. **श्री हरिश पिता श्री अम्बालाल दवे,**
2. **श्री महेन्द्र पिता श्री अम्बालाल दवे,**
3. **श्रीमती मोहनीबाई बेवा श्री अम्बालाल दवे,**
4. **श्री शरद पिता श्री लेहरूलाल दवे,**
5. **श्री आनन्द पिता श्री लेहरूलाल दवे,**
6. **श्रीमती भगवती देवी बेवा श्री लेहरूलाल दवे,**
7. **श्री मोहनलाल पिता श्री खेमराज दवे**

सभी निवासीयान बामन टुंकडा, हाल निवासी 39, जुना तुकोगंज, इन्दौर, मध्यप्रदेश।

-अपीलार्थी

बनाम

1. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द जिला राजसमन्द।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री अक्षय पालीवाल - वकील अपीलार्थी
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - वकील प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-319/2017, बउनवानी श्री हरिश दवे व अन्य बनाम तहसीलदार राजसमन्द में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2021 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 06.12.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या-319/2017, बउनवानी श्री हरिश दवे व अन्य बनाम तहसीलदार राजसमन्द में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2021 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील के अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायलय समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व ग्राम बामनटुकडा पटवार हल्का बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 1685 रकबा 04-17 बीघा भूमि स्थित है जो उनके खातेदार बतौर दर्ज है। उक्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 525/1 जिसके हाल नम्बर 1685 रकबा 4-17 बीघा हुए। उक्त स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी कृषि भूमि में दौराने सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही, गलती से बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज कर दी जो कि वर्तमान में आराजी संख्या 1685 बिलानाम गैर काबिल काश्त के रूप

में दर्ज है, जो विधि विरूद्ध होने से अपीलार्थीगण को उक्त भूमि का पुनः दुरस्त करते हुए अपीलार्थीगण के नाम खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

- सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 01.02.2021 पारित किया कि **"हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना एवं अप्रार्थी तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का व गिरदावर की संयुक्त रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सेटलमेंट विभाग की गलती जाहिर की है, त्रुटि सुधार की ईस्तदुआ की गई। सेटलमेंट विभाग की गलती दुरस्ती के लिए प्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक को न्यायालय में विधिवत रूप से वाद प्रस्तुत करके दाद प्राप्त करनी चाहिए। भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धार 136 के अन्तर्गत इस प्रकरण में दाद नहीं दी जा सकती है। वर्णित स्थिति में इस प्रार्थना पत्र को जैरकार रखना औचित्यपूर्ण नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।"**

अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.02.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 22.03.2021 को ससमय प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दिनांक 30.03.2021 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 06.12.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम बामनटुकडा पटवार हल्का बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 1685 रकबा 04-17 बीघा भूमि स्थित है जो उनके खातेदार बतौर दर्ज है। उक्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 525/1 जिसके हाल नम्बर 1685 रकबा 4-17 बीघा हुए। उक्त स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी कृषि भूमि में दौराने सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही, गलती से बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज कर दी जो कि वर्तमान में आराजी संख्या 1685 बिलानाम गैर काबिल काश्त के रूप में दर्ज है। किसी भी खातेदारी भूमि को बिना विक्रय पत्र या न्यायालय के आदेश के अलावा किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार या किस्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसके बावजुद भूप्रबन्ध विभाग ने नियमों के विपरित जाकर अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि को बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी, जो विधि व नियमों के विपरित है। अतः वर्णित कृषि भूमि को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किस्म परिवर्तन करके बिलानाम गैर काबिल काश्त कर दिया है, इसलिए अपीलार्थीगण को उक्त भूमि का पुनः दुरस्त करते हुए अपीलार्थीगण के नाम खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कथनों को नजरअंदाज करते हुए विधि एवं तथ्यों के प्रतिकुल निर्णय पारित किया जो काबिल निरस्त है। भू-राजस्व अधिनियम में कोई भी गलती शुद्विकरण के लिए धारा-136 में प्रावधान दिये है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा जमाबंदी मेवाड सेटलमेंट का भी पेश किया उसमें भी अपीलार्थी के पूर्वज खेमराज वल्द गोवर्धन का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इसको नजरअंदाज कर दिया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलर्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर वांछित दुरस्ती के आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों की ताईद में न्यायिक दृष्टांत 2013 डीएनजे (रेवे) पेज 100 एवं 2015 डीएनजे (रेवे) पेज 97 प्रस्तुत किये।

विद्वान राजकीय पेरोकार (प्रत्यर्थी) द्वारा अपीलार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए बहस में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के दायरे से बाहर है। 136 एल आर एक्ट के सीमित अधिकार है। अपीलार्थी घोषणा का दावा लाकर दावे के अन्तर्गत तनकियात, साक्ष्य सबुत लेकर अपना दावा सिद्ध कराना होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है, जिसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान परिशीलन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2020 से 2023 से यह प्रकट होता है कि ग्राम बामनटुकडा के साबिक आराजी संख्या-525/1 रकबा 4-17 बीघा श्री अम्बालाल, लेहरूलाल, खेमराज (अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारियों) व अन्य के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में भी अनवरत थी। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा मिलान अनुसार भूप्रबन्ध विभाग द्वारा जब सेटलमेंट किया गया तो गत आराजी नम्बर 525/1 के नये नम्बर 1685 बने और राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज हुई। सेंटलमेंट पूर्व के राजस्व रेकर्ड अनुसार भूप्रबन्ध खसरा पत्रक में सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान उपरोक्त खातेदार के नाम दर्ज होनी चाहिए। यह परिवर्तन सिर्फ किसी सक्षम आदेश के अनुसरण में ही किये जाने का प्रावधान है। सक्षम आदेश के विवरण का संक्षिप्त अंकन इस खसरा पत्रक पर किया जाना प्रकट नहीं होता है जो यह प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि यह इन्द्राज परिवर्तन बिना सक्षम आदेश के किया गया है जो विधि विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति से यह तो स्पष्ट होता है कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान जो इन्द्राज आराजी संख्या 1685 के सम्बन्ध में किये गये है, वह नये रेकार्ड में दोहराये नहीं गये है, जो प्रावधानोनुसार आवश्यक है, ऐसे में सम्बन्धित व्यथित खातेदार इन्द्राज दुरस्ती का अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी या खातेदारी, भूमि किस्म या अन्य इन्द्राजों का जो भी अंकन भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का है, उसे नये रिकार्ड में दोहराया जाना चाहिए, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजाता को बदलने का आदेश ना हो। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई आदेश अभिलेख पर न ही उपलब्ध है और न ही इसके सम्बन्ध में राजस्व रेकर्ड में कही इसका उल्लेख है, और न ही अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त वर्णन अनुसार यह स्पष्ट है कि सम्बन्धित इन्द्राजात भू प्रबंध के दौरान बदले गये है, ऐसे में इनकी दुरूस्ती धारा 136 के अन्तर्गत ही की जायेगी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार राजसमन्द से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें आराजी संख्या 1685 का रकबा 17-16 बीघा बिलानाम सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज रेकर्ड है, का अंकन किया गया। यहा यह रकबे के घटने एवं बढ़ने का प्रश्न है, यह सिर्फ विवाद भूमि के भूप्रबन्ध के पूर्व राजस्व रेकर्ड एवं बाद के रेकर्ड में इन्द्राज परिवर्तन के सम्बन्ध में अनुतोष प्राप्ति का है। रकबे के घटने एवं बढ़ने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा गहन जांच अपेक्षित थी क्योंकि गत आराजी संख्या 525/1 का रकबा 4-17 रेकर्ड से प्रमाणित है, जबकि जांच रिपोर्ट में हाल आराजी नम्बर 1685 का रकबा 17-18 बीघा बताया गया है। जो स्वयं भूप्रबन्ध से पूर्व व बाद के इन्द्राज परिवर्तन को इंगित करती है। ऐसे में उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी

द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी एवं प्रस्तुत एवं भूप्रबन्ध खसरा पत्रक में किये गये अंकन से परे जाकर बढ़े हुए रकबे के आधार पर वाद प्रस्तुत कर इमदाद पाने का कथन से परे होने से उचित नहीं है। यह भी पाया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष का उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सही निवर्चन नहीं कर तथ्यों से परे अभिवचन किये है जो स्वीकार योग्य नहीं है।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज 16/92/26 दिनांक 20-12-1995, जो मूलतः धारा 136, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 से जुड़ा है, व समस्त संभागीय आयुक्तगण एवं जिला कलक्टर्स को संबोधित है, को यहां उल्लेखित किया जाना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है :-

"विषयः राजस्थान भू राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेययक, 1995 में हितार्थ उद्देश्य।

प्रेषित
समस्त संभागीय आयुक्तगण
समस्त जिला कलक्टर्स

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1955 (सुविधा हेतु जिनको संलग्न की जा रही है) दिनांक 22.11.95 को लागू हो गया है।

भू प्रबन्ध के दौरान भूप्रबन्ध कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा धारा 123 व 125 की आड में कब्जे के आधार पर खातेदारी भूमि को सिवायचक/चारागाह या इसके विपरित सिवायचक चारागाह को खातेदारी में अंकित कर दिया था, जिसकें परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में अनियमितताएं हुई है, जिनसे अनावश्यक मुकदमेंबाजी भी बढ़ी है और कब्जे के आधार पर ऐसे विवाद भी निर्णित कर दिये जाते थे, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। इस संशोधन के द्वारा धारा 122 को संशोधित किया गया, धारा 123 व 125 को विलोपित किया गया था और धारा 136 को प्रतिस्थापित किया गया। इस संशोधन के पीछे मूल भावना यह थी कि उपरोक्त प्रकार की गलतियों पर अंकुश लग सके तथा समरी ट्रायल से उपरोक्त गलतियों को ठीक किया जा सकें।

उपरोक्त संशोधन के पश्चात् निम्न प्रकार स्थिति बनती है-

1. **भूप्रबन्ध कार्यवाही बंद के पश्चात जो मामलें भूप्रबन्ध अधिकारी के पास अनिर्णित रह जाते है, वे भू अभिलेख अधिकारी (एसडीओ) को हस्तान्तरित कर दिये जाते है। ऐसे मामलें भू अभिलेख अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्णित किये जायेंगे।**
2. **भूप्रबन्ध के दौरान जो लिपिकिय एवं अन्य गलतियां भूप्रबन्ध कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गई, उनका निर्धारित रीति द्वारा भू अभिलेख शुद्धिकरण कर सकेगा या करा सकेगा बशर्तें कि हितबद्ध पक्षकार ऐसी गलतियों का भूअभिलेख या रजिस्टर में किया जाना स्वीकार करें।**
3. **यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान उपरोक्त प्रकार की गलतियां नोटिस की जाती है, तो उन्हे एसडीओं को भेजेंगे। पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने हेतु नोटिस देकर तथा सुनवाई का अवसर प्रदान कर गलती के शुद्धिकरण हेतु भू अभिलेख अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करेगा।**

4. सभी जिला कलक्टर भू अभिलेख अधिकारी है तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(183)रेव/बी/56 दिनांक 17.9.56 द्वारा ये शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को दी गई है। यह अधिसूचना आज भी प्रभावी है। अतः वर्तमान में सभी उपखण्ड अधिकारियों के पास भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां है। उपखण्ड अधिकारी के नीचे का कोई अधिकारी उपरोक्त प्रकार की गलतियों के शुद्धिकरण के लिए सक्षम नहीं है।

5. भूप्रबन्ध के दौरान यदि बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के किसी की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी की कृषि भूमि को चारागाह/सिवायचक/राजकीय भूमि दर्ज कर दिया गया है तो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत भू अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा।

6. यदि किसी सिवायचक या राजकीय भूमि को किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी में बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी गलतियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को संशोधित धारा 136 के अन्तर्गत भू अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक कराया जा सकेगा।

7. भूप्रबन्ध कार्यवाही बन्द होने के बाद भू-अभिलेख संधारण का दायित्य भू-अभिलेख अधिकारी का है और इस दौरान भी यदि उपरोक्त प्रकार की गलतियां होती है तो मद संख्या (3) के अनुसार उनके शुद्धिकरण के अधिकार भी भू अभिलेख अधिकारी को होंगें।

8. किसी भी प्रकार की गलती के सुधार के पहले प्रभावित पक्षकारों को नोटिस दिया जाना तथा सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना आवश्यक होगा। जहां आवश्यक ही लेण्ड होल्डर (तहसीलदार) को भी राज्य हित की सुरक्षा के लिए पक्षकार बनाना होगा।

9. भूप्रबन्ध के दौरान हुई गलतियों का सुधार उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया से खातेदारी अधिकारों को प्रभावित करते हुए किया जा सकेगा लेकिन धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ऐसे परिवर्तनों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अदालत में वाद दायर करना होगा।

10. धारा 136 के तहत किसी को कोई नये खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकेंगें बल्कि रेकार्ड के आधार पर जो अधिकार निहित थे और सही एवं वास्तविक स्थिति थी, उनके अनुसार ही गलतियों को संशोधित कर सही कर सकेगा।

    उपरोक्त प्रकार की गलतियां या तो अधिकारी के स्वयं ध्यान में आ सकती है अथवा किसी अन्य व्यक्ति/कर्मचारी/अधिकारी द्वारा घ्यान में लाई जा सकती है अथवा पक्षकारों द्वारा लाई जा सकती है। कृपया राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक में उपरोक्त बिन्दुओं को निर्धारित प्रक्रिया पर विचार विमर्श करें और यह स्पष्ट कर दें। समरी ट्रायल से गलतियों का सुधार नियमित वाद का विकल्प नहीं है, समय की व्यवस्था गलतियों के सुधार के लिए की गई, जहां परस्पर खातेदारी का बिना वहां सक्षम न्यायालयों से ही निर्णित कराना होगा।

    प्रमुख शासन सचिव''

उक्त परिपत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी या खातेदारी या अन्य इन्द्राजाता का जो भी अंकन भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व का है, उसे नये रिकार्ड में दोहराया जाना चाहिए, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय का इन इन्द्राजाता को बदलने का आदेश ना हो। भू प्रबंध विभाग को यह अधिकार नहीं है कि राजस्व रिकार्ड में आये इन्द्राजात को अपने स्तर पर बदले। यदि ऐसे इन्द्राजात भू प्रबंध के दौरान बदले गये हो तो उनकी दुरूस्ती धारा 136 के अन्तर्गत की जायेगी। इन अंकनों के दुरूस्ती हेतु अलग से दावा लाया जाना भी आवश्यक नहीं हेागा। हस्तगत प्रकरण में भू प्रबंध कार्यवाही से आराजी संख्या 525/1 की भूमि अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारियों के नाम दर्ज थी जिसे जिसे बिना सक्षम आदेश के भू प्रबंध विभाग ने विलोपित कर बिलानाम सिवायचक काबिल काश्त दर्ज दिया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि भू प्रबंध विभाग को नये इन्द्राज करने, पुराने इन्द्राज को विलोपित करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है एवं लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर, जिसके कि अधिकार उपखण्ड अधिकारी में निहित है, भू प्रबंध कार्यवाही पूर्ण हो जाने एवं रिकार्ड प्राप्त हो जाने के बाद धारा 136 में कार्यवाही करने को सक्षम है, ऐसे संशोधन के आदेश पारित कर सकता है। यह न्यायालय विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के उक्त कथनों से निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्तों के परिपेक्ष्य में पूर्णतया सहमत है।

1. 1996 आर.बी.जे. पृष्ठ 8 : ख्याली व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (उच्च न्यायालय)

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 - SECTION 136- Wrong entry made during settlement opreation can be corrected by Land Record Officer.

2. 2003 आर.बी.जे. पृष्ठ 118 : रूपनारायण बनाम कजोड़ेमल

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 - SECTION 136- Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries - In this case during the setlement opreations Assistant Settlement Officer deleted the name of the applicant who is a recorded khtedar of the disputed land and made entries in the name of non-applicant whereas settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any of the competent court. Revision accepted.

3. 2002 आर.बी.जे. पृष्ठ 332 : गिरीराज बनाम भगवत

SETTLEMENT ENTRIES - Settlement Authorities requried to repeat existing entries. The Settlement Authorities are requried to repeat entries in existing Jamabandies and could not alter entries without order of competent court. In this case ancestral land was entered in the name of three brothers by the Settlement Officer at the time of settlement. The first appellate court was not justified in setting aside the justified in the setting aside the entries made by Settlement Officer

without any basis. Revision accepted.

4. 2009 (2) आर.बी.जे. पृष्ठ 954 : मुस्ताक अहमद एवं अन्य बनाम पीरू व अन्य

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 - SECTION 136 Application for correction of entries-Notice issued to respondent 'P' but did not appear & as per jamabandi of Svt. 2034-37, Collector ordered to enter the land as Siwai Chak in Khata No. 1.L.R.O. is empowered to correct the entries- Settlement authorities have no power to change the original entries-Concurrent findings are just & legal- Held, orders upheld.

5. 2010 (2) आर.आर.टी. पृष्ठ 814 : अचल पुरी एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 - SECTION 84 & 136- Board ordered to enter the land in the name of gram Panchyat-Khatedar K,M & Mulpuri & Jethi sold their ¾ share to 'S & T' & they transfered the land by Regd. gift deed infavour of the Muncipal Board-In advertantly 1/4 share entered in the name of 'S & T' only-Error can be rectified by the land record officer u/sec. 136 by giving opportunity of hearing to opposite party-Even otherwise the Board has not committed any error in excrcising the powers u/sec. 9 - Held, Petition is devoid of merits & liable to be dismissed.

6. 1997 आर.आर.डी. पृष्ठ 504 : पूसाराम बनाम बोर्डे ऑफ रेवेन्यू एवं अन्य

(A) Raj. Land Revenue Act, Sections 125 & 136 – Land Records Officer is competent under sections 136 and 125 of the Act after the settlement operations are over, to correct the error crept in record of rights during settlement operations.

(B) Interpretation of Statutes - When the Legislature makes certain provisions in a Act, the presumption is that it is for some purpose and every part of the statute has its effectbecause the Legislature never waste its words or say anything in vain-A construction which attributes redundancy to the legislature can not be accepted except for compelling reasons.

PETITION ALLOWED - Case remanded to R.A.A.

हस्तगत प्रकरण में भू प्रबंध कार्यवाही से गत आराजी संख्या 525/1 की भूमि अपीलार्थी के पूर्वाधिकारियों के नाम दर्ज थी जिसे जिसे बिना सक्षम आदेश के भू प्रबंध विभाग ने विलोपित कर बिलानाम सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज कर दिया जो उपरोक्त विधिक विवेचन एवं तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में अनुचित है। जिससे उपरोक्त वर्णन अनुसार सम्बन्धित इन्द्राजात जो भू प्रबंध के दौरान बदले गये है, उनकी दुरूस्ती धारा 136 के अन्तर्गत ही की जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति के सम्बन्ध में कोई विचार विश्लेषण किये बिना एक त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है, न ही रकबे के घटने एवं बढ़ने के संबंध में जांच की गई। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय पाता है कि अपीलार्थीगण द्वारा जो दुरस्ती चाही गई है, वह दुरूस्ती धारा 136 के अन्तर्गत की जायेगी।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20-12-1995 एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के दृष्टिगत उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2021 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से अपास्तनीय है, जिसे खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के

परिपेक्ष्य में अपीलार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर प्रदान कर, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं राजस्व रेकर्ड के अवलोकन व विश्लेषण उपरान्त नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को पालनार्थ प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर